संख्या- 65/2025/837/छप्पन-2025-05(सा0)/2022

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 30 जून, 2025

विषय: राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (Guidelines and Implementation Procedures) का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 163/ना0उ0नि0-2024-ह0प0/2023 दिनांक 06 सितम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या 67/ना0उ0नि0-2025/ह0प0 एम0आर0ओ0 दिनांक 18 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः शासन के अनुमोदनार्थ Capital Investment करने वाली संस्थाओं की सुविधा हेतु Maintainance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) नीति के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (Guidelines and Implementation Procedures) का ड्राफ्ट एवं कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या सहित संशोधित ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है।

2- उत्तर प्रदेश में एम0आर0ओ0 की स्थापना की व्यापक सम्भावना के दृष्टिगत उ0प्र0 में वायुयानों के Maintainance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 50/2022/1083/छप्पन-2022-05(सा0)2022 दिनांक 30 जून, 2022 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्य में वायुयानों के Maintainance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु नीति का निर्धारण किया गया है।

उक्त नीति के अन्तर्गत Capital Investment करने वाली संस्थाओं को Subsidy प्राप्त करने हेतु आवेदन करने विषयक फॉर्म के प्रारूप "MRO Capital Investment Subsidy Request Form" पर शासनादेश संख्या 501/छप्पन-2023-05(सा0)/22 दिनांक 24 जनवरी, 2024 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित उक्त नीति के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1/2025/2048/छप्पन-2024-05 (सा0)/22 दिनांक 02 जनवरी, 2025 के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2026 की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या 67/ना0उ0नि0-2025/ह0प0 एम0आर0ओ0 दिनांक 18 जून, 2025 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए राज्य में वायुयानों के Maintenance, Repair And Overhaul (एम0आर0ओ0) सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत Capital Investment करने वाली संस्थाओं की सुविधा हेतु दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (Guidelines and Implementation Procedures) के ड्राफ्ट (प्रति संलग्न) पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या:- 65/2025/837/छप्पन-2025 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को संलनक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. महालेखाकार (प्रथम), प्रयागराज।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, को इस आशय से प्रेषित कि एम0आर0ओ0 नीति के अर्न्तगत दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (Guidelines and Implementation Procedures) के सम्बन्ध में अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/ वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनु0-7/ नियोजन अनु0-1
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक:- यथोक्त

आज्ञा से,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in